महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–415 /आठ–1–22–08बैठक/2018

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल, 2022**

विषयः–उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कतिपय माननीय सदस्यों को विधायक कोटे के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूखण्ड आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, विधान परिषद(समिति अनुभाग–2) के पत्र संख्या–165/वि0प0–समिति–2, दिनांक 20.04.2022**(छायाप्रति मय–संलग्नक संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूची कमांक–42 पर अंकित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कतिपय माननीय सदस्यों को विधायक कोटे के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूखण्ड आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जॉच किये जाने के सम्बन्ध में मा0 समिति की बैठक दिनांक 06.05.2022 को मध्याह्न 12:00 बजे विधान परिषद समिति कक्ष, विधान भवन लखनऊ में आयोजित होने की सूचना दी गयी है।

उक्त साक्ष्य बैठक के पूर्व प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 02.05.2022 को अपराह्न 04:30 बजे प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से तैयारी बैठक आयोजित की गयी है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति की आख्या दिनांक 28.04.2022 तक शासन को उपलब्ध कराते हुए मा0 समिति की साक्ष्य बैठक दिनांक 06.05.2022 एवं तैयारी बैठक दिनांक 02.05.2022 में निर्धारित तिथि एवं समय पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
26.4.2022
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

Pc/E/Shyam/G.O.

राकेश कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

विधान भवन,
लखनऊ।

आज्ञा–पत्र

संख्या: 165 /वि0प0–समिति–2
लखनऊ : दिनॉक 21 अप्रैल, 2022

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद्, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जॉच किये जाने के संबंध में समिति की दिनांक 06 मई, 2022 की प्रस्तावित बैठक में संलग्न सूची में अंकित प्रकरणों पर समीक्षा करने के लिये आपको साक्ष्य हेतु आमंत्रित किया गया है।

अत: आप कृपया संलग्न सूची में अंकित प्रकरणो की अद्यतन आख्या की 25–25 प्रमाणित प्रतियॉ बैठक से तीन कार्य दिवस पूर्व अवश्य ही इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। समयोपरान्त कोई भी आख्या स्वीकार नहीं की जायेगी इसके अतिरिक्त कोविड़–19 की महामारी हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुये समिति की दिनांक 06 मई, 2022 को होने वाली बैठक में कम से कम अधिकारी/कर्मचारी सहित मध्याह्न 12:00 बजे विधान परिषद् के समिति कक्ष, विधान भवन लखनऊ में साक्ष्य हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

उप सचिव ।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विकास प्राधिकरणों,आवास विकास परिषद्,जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जॉच किये जाने के सम्बन्ध में समिति की दिनांक 06 मई, 2022 को होने वाली बैठक में विचारणीय प्रकरणों की सूची।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग | समयः–अपराह्न 12:10 बजे

1–श्री अरविन्द कुमार यादव, स0वि0प0 को आवंटित भूखण्ड सं0–बी–365, व्योमखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ के स्थान पर अन्य खण्ड में भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

2–श्रीमती जीरा देवी को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवास संख्या–5/57ए, विराम खण्ड, लखनऊ के मूल्य निर्धारण में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में।

3– श्रीमती यासमीन सिद्दीकी को लखनऊ विकास प्राधिकरण की पारिजात योजना, विभूति खण्ड में फ्लैट प्रदान करने में हुए विलम्ब के संबंध में।

4–श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी श्री अतुल भदौरिया के द्वारा नरेन्द्र हाउसिंग समिति/आवास विकास परिषद् की सहकारिता इकाई से लिये गये प्लाट संख्या–डी–17, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ की रजिस्ट्री कराये जाने के संबंध में।**(प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0 प्र0 शासन के साथ)**

5–श्री कुलदीप मेहरा पुत्र सेवाराम मेहरा निवासी–लखनऊ 15/1 मदन मोहन मालवीय लखनऊ को विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के एवज में मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

6–लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम् कालोनी सेक्टर एच के भवन संख्या–3/776 से 3/890 के सामने भूमि सं0 42,43 एवं 44 भूमि पार्क हेतु अधिग्रहण के पश्चात बनने वाले पार्क को विकसित न किये जाने के संबंध में।

7–श्री आर0डी0 कुरील को वृन्दावन योजना सं0–1 लखनऊ में खसरा सं0–40 में आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड दिलाये जाने के संबंध में।

8–गंगा शरण सहकारी गृह निर्माण समिति लि0,लखनऊ द्वारा ग्राम मखदूमपुर परगना तहसील व जिला लखनऊ में आवासीय प्लाटों की रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में।**(ए0डी0एम0 फाइनेन्स भूमि एवं अध्यापित अधिकारियों के साथ)**

9–लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत भवन की कम्पाउडिंग कराने आदि के संबंध में।

10–सुल्तानपुर रोड स्थित स्वास्तिका सिटी ग्राम अहिमामऊ, थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ में सार्वजनिक चकमार्ग पर बनी पक्की सडक पर अराजक तत्वों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने के संबंध में।

11- ग्राम नामनवी,कोट नन्दना, ब शी का तालाब, जनपद लखनऊ में स्थित चकमार्ग गाटा संख्या– 388 में ग्राम के दबंग व्यक्तियों द्वारा रास्ते पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।

12–गोमती नगर योजना,विभूति खण्ड, जनपद लखनऊ में भूखण्ड संख्या–टी0सी0जी0–1–ए–वी–4/1 में विवादित अवधि का ब्याज न लिये जाने के सम्बन्ध में।

13–जनपद लखनऊ, गोमतीनगर के विपुल खण्ड 6/160 के सामने ग्रीन पार्क में अवस्थापना निधि के द्वारा सिंथेटिक ट्रैक, बच्चों के झूले व अन्य काम कराये जाने के संबंध में।

14–लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड़ योजना लखनऊ में एल0 आई0 जी0 कालोनी सेक्टर–'जी' में रोड़, नाली, इण्टर लाकिंग व सड़को के निर्माण की जाँच के संबंध में।

15–उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विशाल सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद की अधिगृहित समायोजित भूमि सेक्ट–7 सी0, सिद्धार्थ विहार योजना, गजियाबाद में सम्पूर्ण विकास शुल्क के नाम पर धन उगाही किये जाने के संबंध में।

16–लखनऊ विकास प्राधिकरण की जनेश्वर मिश्र पार्क के अन्दर हनुमान मन्दिर के पीछे हुये गहरे गड्ढे को अतिशीघ्र ठीक कराये जाने के संबंध में ।

17–श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, 16 विनय नगर , कृष्णा नगर लखनऊ ने एल0डी0ए0 द्वारा 90 वर्ग मी0 प्लाट का आवंटन न किये जाने के संबंध में।(पीड़ीत पक्षकार के साथ)

2.....

18–श्री राम सेवक दुबे को लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमतीनगर स्थित वास्तुखण्ड योजना में एक भू–खण्ड का आवंटन कराये जाने के संबंध में।(पीड़ीत पक्षकार के साथ)

19– श्रीमती श्यामा देवी को लखनऊ स्थित कानपुर रोड योजना सेक्टर–डी–1/153 आवंटित किये जाने के संबंध में।

20– मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ रिट याचिका सं0–29718/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2021 तथा उ0 प्र0 शासन अनुभाग –8 आदेश दिनांक 19.01.2018 पर एल0डी0ए0 द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में।

21–ग्राम–खरगापुर के निवासियों द्वारा अवैध रूप से बनाये गये सम्पर्क मार्ग को बन्द कराये जाने के संबंध में।

22–श्री राकेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामकुमार यादव नि0–3380 राजाजीपुरम, लखनऊ के आवासीय भू–खण्ड सं0–12/4001/8ए, 9ए, 10ए, 11ए में लगे कूड़े के ढेर को हटाये जाने तथा भू–खण्डों पर लगाये गये अधिकतम ब्याज दर की नोटिस को निरस्त करते हुये भू–खण्डों की निरस्तीकरण की कार्यवाही को रोके जाने के सम्बन्ध में।

23–श्रीमती अनीता अग्रवाल पत्नी श्री बी0 एल0 अग्रवाल रामबीना निवास, कुण्डरी रकाबगंज लखनऊ के गोमतीनगर आवास योजना स्थित भूखण्ड संख्या बी–2/52 विश्वास खण्ड को लनीजत होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तित कराये जाने के संबंध में।

24–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0प0 को अवध विहार योजना के अर्न्तगत भागीरथी इन्क्लेव में आवंटित 2 बी0/टी–3–302 हेतु जमा की गयी अधिक धनराशि रूपये 10,00,000.00 ब्याज सहित वापस कराये जाने के संबंध में।

N– 25–भूखण्ड संख्या–253 ब्लाक बी, सुजातगंज योजना–2 एकल विन्डो कानपुर नगर को फ्री–होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।**(पीड़ित पक्षकार के साथ)**

26–कानुपर में व्यवसायिक आवासीय भवन, काम्प्लेक्स बिना नक्शा पास वर्ष 2003 में अवैध निर्माण होने तथा उक्त निर्माण में कौन–कौन दोषी हैं? के सम्बन्ध में।

27– प्लाट संख्या–162 तथा मकान संख्या–117/0 /362ए एवं 117/0/362बी गीतानगर, काकादेव, कानपुर पर कानपुर विकास प्राधिकरण के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त कराने के संबंध में।

28– श्री अशोक कुमार मल्होत्रा के आवास संख्या–126एफ/49ए एवं 47बी का कानपुर प्राधिकरण द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही में की जा रही अनियमितता के संबंध में।

29– कानपुर आवास विकास योजना संख्या–1 सेक्टर आई की धामी खेड़ा के पास स्थित आवास विभाग पार्क व जमीन पर अराजकतत्वों द्वारा अनाधिकृत कब्जा/निर्माण को रोकने के संबंध में।

30–श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट पुत्र स्व0 विजय शंकर त्रिपाठी नि0–म0नं0–15/282–ए सिविल लाइन्स, कानपुर नगर को भूखण्ड संख्या–133/ओ/194बी–28 का नामान्तरण कर फ्री होल्ड कराये जाने के संबंध में।

31– श्रीमती प्रेमा बाजपेई पत्नी स्व0 जगदीश कुमार बाजपेई नि0–120/560 शिवाजी नगर, कानपुर नगर को कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर द्वारा भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में।

32– अकबरपुर माती महायोजना 2021 के अनुपालन में प्रार्थी की आराजी नं0 532 व 604 ग्राम बारा जनपद–कानपुर देहात की भूमि को अमस्मेन्ट पार्क के रूप में अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

33–प्रिमियम भूखण्ड संख्या–1 पी0आर0–1 से 1 पी0आर0–4 अम्बेडकर पुरम का आवंटन बिना लेआउट प्लान स्वीकृत के आवंटियो को आवंटित करने के संबंध में।

34– कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिगृहण करने के पश्चात् श्री चिन्तुआ को मुआवजा न दिये जाने के संबंध में।

35– प्रेमलता सिंह पत्नी श्री कृष्ण सिंह के पक्ष में कल्यानपुर कलां जनपद–कानपुर नगर की आराजी सं0–473 के असुधार शुल्क एवं समायोजन के संबंध में।

36– सुमित कुमार गुप्ता निवासी 10/231 खलासी लाइन कानपुर के0डी0ए0 द्वारा प्रार्थी का मानचित्र न पास करने के सम्बन्ध में।

37–आवास एवं विकास परिषद् की सिकन्दरा योजना, आगरा में सेक्टर–3 स्थित प्लाट संख्या– 49 को फर्जीवाड़ा कर उच्च आय वर्ग का आवासीय भवन दर्षाकर नीलामी कराये जाने के संबंध में।

38–श्री ऋशि कुमार जैन व श्री अनिल कुमार जैन निवासी–8 न्यू राजा की मंडी, आगरा के खसरा संख्या–898,899,901,902,905,906, व 0909 मौजा ककरेठा की भूमि को सिकन्दरा गृह योजना एवं सड़क योजना के अन्तर्गत अर्जन मुक्त किये जाने के संबंध में।

39–फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आराजी संख्या–905 का ग्रुप हाउसिंग हेतु मानचित्र पास न किये जाने के संबंध में।

40–अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा विधि विरूद्ध बिना कोई जॉच कराये वाद संख्या–142/27 (15–16) योजित करके प्रार्थिनी का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में।

41–श्री मुन्ना सिंह चौहान, स0वि0प0 को विधायक कोटे के अन्तर्गत वर्श 2006 से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मांगे गये भूखण्ड के आवंटन के संबंध में।

42–उ0प्र0 विधान परिषद् के कतिपय माननीय सदस्यों को विधायक कोटे के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूखण्ड आवंटित कराये जाने के संबंध में।

43–श्री अशोक सिंह जे0ए0–1,जे–ब्लाक, पटेल नगर–1, गाजियाबाद के विरूद्ध फर्जी तरीके से जारी कारण बताओं सभी निटिसों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

44–श्री लिखीराम पुत्र श्री आनन्द स्वरूप, तथा लल्लू सिंह पुत्र गिरिराज, निवासी ग्राम मकनपुर जनपद गाजियाबाद को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि दिये जाने के संबंध में।

45–श्री उमेश कुमार, श्री राजेश कुमार आदि ने जनपद–मेरठ स्थित शास्त्रीनगर व जागृति विहार एक्सटेंशन आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विकसित आवासीय कालोनी में व्यवसायिक उपयोग करने तथा एफ–ब्लॉक में भवन निर्माण व जागृति विहार एक्सटेंशन के सर्विस रोड में किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कराये जाने के संबंध में।

46–श्री कृष्ण मोहन व श्री सुरेश मोहन, मुरादाबाद को ग्राम मझौली की अधिग्रहीत भूमि सं0–219 के मूल्य/मुआवजा का समुचित निस्तारण के संबंध में।

47–श्री मंगलसेन मंडूला की, भूमि गाटा सं0–935 व 936 को आवास एवं विकास परिशद् मुरादाबाद द्वारा अधिगृहीत करने के फलस्वरूप मुआवजा या अन्य भूमि दिये जाने के संबंध में।

48– श्री अशोक कुमार जैन, स्टेट बैंक के पीछे कचेहरी परिसर, रामपुर मामा नगर सह0 आवास समिति लि0 मुरादाबाद में आवंटित खण्ड संख्या–771 की रजिस्ट्री कराने के बाद कब्जा दिलाये जाने के संबंध में।

49–जिला–मुरादाबाद के ग्राम–भोगपुर मिठौनी उर्फ निरीकुई, में कृशि भूमि गाटा सं0–1038 क्षेत्रफल01.45 एकड़ एवं गाटा संस0–1039, क्षेत्रफल 0.04 डि0 को आवासीय/व्यवसायिक निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।**(पीड़ित पक्षकार के साथ)**

50–श्री विनीत यादव पुत्र श्री विजयवीर सिंह यादव, निवासी–2/412, बुद्विविहार आवास विकास मझोला मुरादाबाद का सम्पूर्ण भुगतान व रजिस्ट्री के उपरान्त भी विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा न दिये जाने के संबंध में।

51–श्री मुकेश कुमार राय पुत्र लाल बहादुर राय, डी/58/1380ए गॉधीनगर, सिंगरा तहसील–सदर जनपद–वाराणसी में भूखण्ड संख्या–12, हबीबपुरा आवासीय योजना स्थित मौजा हबीबपुरा परगना–देहात अमानत कुल रकबा 139.50 वर्गमी0 का बैनामा के बाद कब्जा न दिये जाने के संबंध में।

52–जनपद वाराणसी में वार्ड चेतनगंज के अन्तर्गत चंदुआ सट्टी में म0नं0– सी–33/11 के पीछे आराजी नं0–163/2 लगभग 6.50 बिस्वा कृशि भूमि पर अविकसित अवैध कालोनी बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

53–आवास एवं विकास परिषद् द्वारा ग्राम पाण्डेयपुर व दौलतपुर, जनपद वाराणसी में अर्जित भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के अन्तर्गत व्यपगत (लैप्स) करने अथवा नये अधिनियम 2013 के अन्तर्गत वर्तमान दर से भूमि का प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में।

54–विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान संख्या– एम0एम0–21 व एम0एम0–22, बी0डी0ए0 कालोनी, शिवपुर वाराणसी द्वारा बनाये गये भवन की नियम विरूद्व कूटरचित तथ्यों के आधार पर करायी गयी रजिस्ट्री को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

55–विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान संख्या– एम0एम0–21 व एम0एम0–22, बी0डी0ए0 कालोनी, शिवपुर वाराणसी के द्वितीय तल पर निर्मित अवैध निर्माण को ध्वस्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

56–श्री अशोक कुमार उपाध्याय नि0–ग्राम–भीटी–रामनगर शिव विहार कालोनी जनपद–वाराणसी के म0 न0–698 को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये सील को खुलवाने के संबंध में।

57–श्री नीरज गुप्ता, निवासी ग्राम जंगल सालिकराम, जनपद गोरखपुर में नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय व उपनिबन्धक सदर प्रथम के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से षासन को अरबों रूपये की राजस्व क्षतिपूर्ति पहुँचाने एवं कूट रचित तरीके से गरीब व्यक्तियों की भूमिधरी नम्बरान को पट्टे में संलग्न कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

58–श्रीमती ऋचा सिंह पत्नी श्री समीर कुमार सिंह को गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लेकव्यू अपार्टमेंट में फ्लैट की बढ़ायी गयी धनराशि को वापस कराये जाने के सम्बन्ध में।

59–श्री निरपत सिंह यादव आराजी संख्या–302 ग्राम–झूँसी कोहनी, इलाहाबाद की भूमि को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने एवं अर्जन मुक्त किये जाने के संबंध में।

60–श्री निरपत सिंह यादव म0नं0–100 कबीर मार्ग क्लेस्क्वायर, हजरतगंज, लखनऊ के झूँसी योजना संख्या–3 इलाहाबाद के अन्तर्गत अधिग्रहीत/कब्जा प्राप्त आराजी सं0–299 ग्राम झूँसी कोहनी की भूमि को अर्जन मुक्त कराये जाने के संबंध में।

61–श्रीमती सुलोचना पत्नी स्व0 अमरनाथ सिंह निवासी 758,दारागंज,इलाहाबाद के मकान से सटाकर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

62–भूमि खसरा सं0–339, ओबरी, बाराबंकी को आवास विकास परिषद् द्वारा समझौते के आधार पर अर्जन मुक्त किये जाने के संबंध में।